न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 72/2021/आवेदन 136 एलआरएक्ट

बनवारी लाल कुमावत पुत्र मांगूराम कुमावत जाति कुमावत निवासी सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थी

ब ना म

तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1. श्री बनवारीलाल एवं सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 02.08.2022

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक की कृषि भूमियॉ ख.नं. 465 ता 468, 470 ता 474, 475/717, 476 ता 481, 483 ता 485, 487, 488 कुल किता 21 कुल रकबा 6.9000 हैक्टेर वाके ग्राम सांगरवा पटवार हल्का सांगरवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज. की तन में अवस्थित है जिसका प्रार्थी रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिनमें प्रार्थी आवेकद का 1/10 हक व हिस्सा चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी आवेदक 1/10 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार है प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बजरंग लाल पुत्र मांगूराम अंकित है जबकि प्रार्थी का सही व सत्य नाम बनवारी लाल कुमावत पुत्र मांगूराम कुमावत है जो नाम प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड आदि समस्त दस्तावेज में अकित है। इस प्रकार प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बजरंग लाल अंकित है बनवारी लाल कुमावत पुत्र मांगूराम कुमावत अंकित किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी कमाने खाने के लिए बाहर मजदूरी करता है जिस कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम के बारे में कोई जानकारी पूर्व में नहीं

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

र्थी जब प्रधान मंत्री किसान योजना (पी.एफ.एम.एस.) के तहत प्रतिवर्ष 6000/- रूपये दिये जाने की घोषणा के पश्चात अपना खाता ऑन लाईन पर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड से लिंक करवाने के लिए 10 रोज पूर्व ई मित्र पर गया तो जमाबन्दी देखी तब नाम के बारे में जानकारी हुई जिस कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को बनवारी लाल कुमावत के नाम से ही जाना पहचाना जाता है तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजात केवल मात्र बनवारी लाल कुमावत पुत्र मांगू राम कुमावत के नाम से बने हुए है जो सही व सत्य है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 465 ता 468, 470 ता 474, 475/717, 476 ता 481, 483 ता 485, 487, 488 कुल किता 21 कुल रकबा 6.9000 हैक्टेर वाके ग्राम सांगरवा पटवार हल्का सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र मांगुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम बनवारी लाल पुत्र मांगुराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। सहखातेदार रामगोपाल पुत्र नाथुराम व मुलाराम पुत्र लादुराम ने वादी के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र मांगुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम बनवारी लाल पुत्र मांगुराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी सांगरवा एवं ग्राम पंचायत सांगरवा के प्रमाण पत्र के आधार पर बजरंग लाल द.पु. मांगुराम व बनवारीलाल पुत्र द.पु. मांगु दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं सहखातेदारों के साक्ष्य शपथ पत्रों पर गौर किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट एवं सहखातेदारों के साक्ष्य शपथ पत्रों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 465 ता 468, 470 ता 474, 475/717, 476 ता 481, 483 ता 485, 487, 488 कुल किता 21 कुल रकबा 6.9000 हैक्टेर वाके ग्राम सांगरवा पटवार हल्का सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम बजरंग लाल द.पु. मांगुराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बनवारी लाल उर्फ बजरंगलाल द.पुत्र मांगुराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ